

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, इबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल - mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427091

क्रमांक 1937/टीसी/49/उपां/नग्रानि/2012  
प्रति,

भोपाल, दिनांक:- 27/5/2020

1. कलेक्टर,  
जिला इन्दौर (म.प्र.)।
2. आयुक्त,  
नगर पालिक निगम, इन्दौर, (म.प्र.)।
3. संयुक्त संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, इन्दौर (म.प्र.)।

विषय:- इन्दौर विकास योजना 2021 में उपान्तरण बाबत ।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्र. 1821/टी.सी./49/उपां/नग्रानि/2012 भोपाल,  
दिनांक 06.05.2020

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल ने इन्दौर विकास योजना 2021 में  
उपांतरण प्रस्तावित किया गया है । जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो  
स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है ।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके  
कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- यथोपरि

पृ.क्रमांक 1938 /टीसी/ 49/उपां/नग्रानि/2012  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की  
ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. संयुक्त संचालक, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर  
प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित ।

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
भोपाल

भोपाल दिनांक:- 27/5/2020

आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म0प्र0भोपाल

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427091

## सूचना

भोपाल, दिनांक 27/5/2020..

क्रमांक 1937/उपां/टीसी/49/201 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इन्दौर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

## अनुसूची

क0	ग्राम	खसरा क0	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् उपान्तरित भू-उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	बिजलपुर	878 / 1	10.513 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		878 / 2			
		919 / 1 / 2			
		919 / 2			
		921 / 1. (अग F)			
		888,			
		877 / 2,			
		877 / 1,			
		887 / 1 / 1,			
		887 / 2,			
		920			

Up

बिजलपुर	921/3/1	2.026 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
	921/3/2			
	921/3/3			
	921/3/4			
	921/3/5			
	922/2,			
पिपल्याराव	213/1	1.783 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
	213/2			
	कुल क्षेत्रफल	14.322 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर तथा वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे ।

दिनांक 09.05.2020 को चौथा संसार एवं Free Press इन्दौर के अखबारों में प्रकाशित सूचना क्रमांक G- 11199/20 के संदर्भ में लेख है कि प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यह लेख किया गया था कि दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकेगा ।

पुनः प्रकाशित किया जाता है कि प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर म.प्र. को एवं ई-मेल आईडी – [obj-sugg-indore@mp.gov.in](mailto:obj-sugg-indore@mp.gov.in) पर ई-मेल आईडी दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से इन्दौर नगर में अधिकारिक रूप से लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात् 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा ।



आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म0प्र0 भोपाल